case, No. RCI(A)/90-ACU(IV), a pan report was submitted to the Government by the Central Bureau of Investigation (CBI). It has not been possible to complete the investigation mainly due to protracted litigation by some of the accused in Swiss courts against transfer of documents from Switzerland to India, and other legal steps taken by them.

फर्रुखाबाद में रसोई-गैस की आपूर्ति

*226. **प्रो0 रामबख्श सिंह वर्मा** :क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, विशेषकर फर्रुखाबाद में, लोगों को एल0 पी0 जी एजेंसियों की कमी के कारण ईधन हेतु भारी समस्या का सामना करना पड़ता हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त जिलों में और नई एल0 पी0 जी0 एजेंसियां स्थापित करने पर विचार कर रही हैं, और

(ग) ये एजेंसियां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के0 रामपूर्ति) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिलों में सूचीबद्ध उपभोक्ताओं को तेल कंपनियां द्वारा एल0 पी0 जी की आपूर्ति में किसी विफलता की सूचना नहीं दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 680 एल0 पी0 जी0 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्य की एल0 पी0 जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रचालनरत हैं। इनमें से 4 फर्रुखाबाद जिले में हैं। एल0 पी0 जी0 की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1996-98 की एल0 पी0 जी विपणन योजना में उत्तर प्रदेश के लिए 418 नई एल0 पी0 जी0 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल कर ली गई हैं, जिनमें से 8 फर्रुखाबाद जिले के लिए हैं।

(ग) तेल कम्पनियों ने डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए अनेक स्थानों हेतु पहले से ही विज्ञापन के दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 10 डीलर चयन की प्रक्रिया जारी हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का वास्तविक रूप से आरम्भ विभिन्न घटकों पर निर्भर करता हैं जैसे विज्ञापित स्थानों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए डीलर चयन बोर्डो द्वारा आयोजित साक्षात्कार, भूमि प्राप्त करना,उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना और डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा गोदाम का निर्माण आदि। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आरम्भ होने में आमतौर पर लगभग 6-12 महीने का समय लगता हैं।

सारी वर्ष बहने वाली नदियों के जल का प्रयोग

*227. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या देश में सारा वर्ष बहने वाली नदियों के जल को घरेलू सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता हैं,

(ख) यदि हां, तो इन नदियों के चल का उपर्युक्त अयोजनों हेतु प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग किए जाने का अनुमान हैं,

(ग) जल की कितनी मात्रा उपयोग में लाए बिना समुद्र में बह जाती हैं,

(घ) क्या सरकार ने बिना उपयोग किए समुद्र में बह जाने वाले जल को उपयोग में लाने हेतु कोई योजना तैयार की हैं, और

(ड़) यदि हां, तो इसमें चल की कितनी मात्रा का उपयोग हो सकते ही संभावना हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ड़) नदियों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर बाधाओं के कारण उपयोज्य जल संसाधन 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया हैं जिसमें सतही जल से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर लगभग 432 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिग पुनर्भरण भूजल संसाधनों से हैं। स्थलाकृतिक और पर्यावरणीण बाधाओं, वाष्पीकरण से हैं। स्थलाकृतिक और पर्यावरणीय बाधाओं, वाष्पीकरण और वनस्पति हानियों तथा नदी व्यवस्था (रेज़ीम) को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित होने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं हैं।